Annexure - VII

उत्तरांचल शासन
सूचना विभाग
यू.ओ. : संख्या 187/XXII/2005
सचिवालय, देहरादून
दिनांक 06 अगस्त 2005

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
   उत्तरांचल शासन।
2. मण्डलायुक्त कुमायूं/ गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन की तैयारी हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 177/XXX/2005, दिनांक 30 जुलाई 2005 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके प्रस्तर 10 में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। तद्नुसार उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा 100 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 50 – 50 अधिकारियों को दो बैच में दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो दिवसीय है। प्रथम बैच का प्रशिक्षण दिनांक 16–17 अगस्त 2005 को तथा द्वितीय बैच का प्रशिक्षण दिनांक 19–20 अगस्त 2005 को उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल में आयोजित किया गया है। इस प्रकार दानों बैच का प्रशिक्षण नैनीताल में ही आयोजित किया गया है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशियेटिव, नई दिल्ली तथा यशदा, पुणे के विशेषज्ञ भी भाग लेंगे।

इन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अधिकारियों को निम्न प्रकार नामित किया जाना है : –

1. प्रत्येक जिलाधिकारी अपने जनपद में तैनात अधिकारियों में से कुल 4 जिनमें से तीन अधिकारियों को प्रथम बैच दिनांक 16–17 अगस्त 2005 को आयोजित प्रशिक्षण हेतु नामित करेंगे तथा एक अधिकारी को द्वितीय बैच में दिनांक 19–20 अगस्त 2005 को आयोजित प्रशिक्षण हेतु नामित करेंगे।

2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ तथा गढ़वाल मण्डल स्तरीय अधिकारियों में से एक एक अधिकारी को प्रथम बैच के लिये आयोजित प्रशिक्षण दिनांक 16–17 अगस्त 2005 हेतु नामित करेंगे।

3. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास, लोक निर्माण, ऊर्जा, गृह, सिंचाई, पेयजल, वन तथा समाज कल्याण विभाग दो अधिकारियों को प्रथम बैच में दिनांक 16–17 अगस्त 205 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित करेंगे।